# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

**(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)**

**अपील संख्या :–06/2015/भीलवाड़ा (2015/00016)**

1. श्रीमती मांगी पत्नि रामचन्द्र, जाति गाडरी, निवासी ग्राम जित्याखेडी, हाल ग्राम भोली, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।
2. देवीलाल पुत्र किशन, जाति गाडरी, नि0 ग्राम जित्याखेड़ी, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती बरदी देवी पत्नि रामचन्द्र पुत्री किशन, जाति गाडरी, निवासी ग्राम जित्याखेड़ी हाल निवासी भोली, तह0 हमीरगढ़, जिला भीलावड़ा ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 12.12.2014 .**

**उपस्थितः–**

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

## निर्णय

**दिनांक :– 14.6.2018**

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2014 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा नामांतकरण संख्या 34 परिशोधन आदेश दिनांक 14.7.1969 को जारी किया था,

जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट की अपील को अपील दर्ज करने की स्टेज पर मियाद के बिन्दू पर अपास्त करने के आदेश दिनांक 12.12.2014 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि भू–प्रबंध विभाग ने प्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया था जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील दर्ज किये जाने की स्टेज पर ही मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 को मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि अपीलांट की अपील संधारण योग्य नहीं थी तो अधी0न्याया0 को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लौटा देनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील को एडमिशन स्तर पर मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है एवं पक्षकारान स्व0 किशन गाडरी की संताने है तथा विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पो0 को विरासत से प्राप्त हुई जिस पर पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजी अपीलांट के पिता किशना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 ने किशना का देहांत होने पर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 का भी विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर अपीलांट की अपील को एडमिशन के स्तर पर मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.12.2014 एवं नामांतकरण संख्या 34 परिशोधन आदेश दिनांक 14.7. 1969 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय पैरोकार रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में भू–प्रबधं विभाग द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 34 परिशोधन आदेश दिनांक 14.7.1969 के विरूद्ध 8.12.2014 को अपील प्रस्तुत की है। अपील की पुस्त पर रीडर द्वारा यह रिपोर्ट अंकित की गई है कि '' भू–प्रबंध विभाग द्वारा निर्णित किये गये नामांतकरण दिनांक 14.7. 1969 की अपील प्रस्तुत की है जो लगभग 45 वर्षो बाद प्रस्तुत की है जबकि नामांतकरण अपील 30 दिवस है । दफा 5 का प्रार्थना पत्र संलग्न जिसमें कोई ठोस कारण नहीं है । अपील मियाद बाहर है । अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ पेश है ।'' उक्त जांच रिपोर्ट पेश होने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट की अपील एडमिशन स्तर पर अपील को 45 वर्ष की भारी मियाद बाहर होना मानकर अपास्त करने के आदेश दिनांक 12.12.2014 को पारित किये । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने मियाद बिन्दू पर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपील को एडमिशन पर स्तर पर अपास्त करने के आदेश पारित किये है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर अपास्त करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अपीलांट ने अपने अपील मीमों में विवादित आराजियात पैतृक होने का कथन करते हुए विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा होने का कथन किया है । इस तथ्य का निर्धारण बाद साक्ष्य गुणावगुण पर ही किया जा सकता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एडमिशन स्तर पर मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने से अपीलांट को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर नहीं मिला जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज कर सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते तथा अपीलांट द्वारा मियाद के समुचित कारण नहीं बताये जाने पर अपील को मियाद बिन्दू पर खारिज करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.12.2014 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

**–:क्रियात्मक आदेशः–**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 06/2015 (2015/00016) बउनवानी श्रीमती मांगी बनाम राज0 सरकार व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 14.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**